<u>न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं</u>

पीठासीन अधिकारीः—डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्याः— 504 / 2025

श्री मोहरसिंह पुत्र श्री हरलाल सिंह, मु0पो0 टमकोर, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनूं पिन कोड 331026

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं।

——

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

——

<u>आदेश</u>

दिनांक 08.12.2025

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 24.11.2025 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 504 / 2025 पर दिनांक 24.11.2025 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2025 / 5160—5161 दिनांक 24.11.2025 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16(4)(5)न्याय / सू0अ0 / 2025 / 1503 दिनांक 08.12.2025 द्वारा रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि अपीलार्थी श्री मोहरसिंह पुत्र श्री हरलाल सिंह, मु0पो0 टमकोर, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनूं का आवेदन पत्र इस कार्यालय मे आदिनांक तक प्राप्त नही हुआ है। अतः अपीलार्थी का यह अपील प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।
5. अपीलार्थी उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16(4)(5)न्याय / सू0अ0 / 2025 / 1503 दिनांक 08.12.2025 द्वारा रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि अपीलार्थी श्री मोहरसिंह पुत्र श्री हरलाल सिंह, मु0पो0 टमकोर, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनूं का आवेदन पत्र इस कार्यालय मे आदिनांक तक प्राप्त नही हुआ है। चूंकि अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र ही लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर), झुंझुनूं को प्राप्त नही हुआ है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 08.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं